डीजी परिपत्र संख्या: 27 /2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःमई 10 ,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

संज्ञान में आया है कि कई जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर से अपराधों की विवेचना एक थाने से किसी दूसरे थाने अथवा प्रकोष्ठ में स्थानान्तरित कर दे रहे है। कुछ जनपदों में एक अपराध की विवेचना कई-कई बार इधर से ऊधर स्थानान्तरित की जा रही है। किसी-किसी जनपद में अभियुक्त पक्ष की अनुरोध पर भी विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जा रहा है, जो सामान्यतया उचित नहीं है।

2. विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पार्श्वांकित सन्दर्भ पत्रों से समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगेः-

परिपत्र संख्या-एडीजी-3/11 दिनांक 03.05.11 टा0आ0संख्या-डीजी-सात-एचसी(3)/11दि018.5.11 परिपत्र संख्या-डीजी-69/12 दिनांक 04.02.12 परिपत्र संख्या-एडीजी-1/12 दिनांक 12.12.12

(i) वर्तमान परिवेश में अब किसी भी अपराध की विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जाएगा।

(ii) विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा।

(iii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी किसी अपराध की विवेचना जनपद में एक थाने से दूसरे थाने अथवा क्राइम ब्रान्च में केवल एक बार स्थानान्तरित कर सकेंगें।

(iv) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सामान्यतया अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचना को किसी स्तर से स्थानान्तरित न किया जाय।

(v) विवेचना के स्थानान्तरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी मुखरित आदेश पारित करेंगें, जिसकी प्रति परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी निश्चित रूप से प्रेषित की जायेगी।

(vi) स्थानान्तरित विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी करेंगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगें कि जघन्य अपराधों की विवेचना को दो माह में तथा साधारण अपराधों की विवेचना को एक माह में निष्पक्षता से पूर्ण करा लिया जाय। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने अधीन जनपदों में स्थानान्तरित विवेचना की सूची संकलित करेंगें और सुनिश्चित करेंगें कि वह विवेचनायें निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जाएं। यदि स्थानान्तरित विवेचना में इस समयावधि से अधिक समय लगता है तो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का स्पष्टीकरण ले कर अपनी टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक, जोन को भेजेगें, जो समीक्षोपरान्त पुलिस अधीक्षक को सचेत करेंगें।

(vii) आवश्यकतानुसार अपरिहार्य स्थिति में जनपद से बाहर विवेचना का स्थानान्तरण परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार किया जायेगा। परिक्षेत्र स्तर से निर्गत विवेचना स्थानान्तरण आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक, जोन को दी जाएगी।

(viii) ऐसी विवेचनाएं जो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित की जायेंगी, उनके पर्यवेक्षण का कार्य स्वयं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक का होगा, जो यह सुनिश्चित करेंगें कि जघन्य अपराधों की विवेचनाओं को दो माह में तथा साधारण अपराधों की विवेचना एक माह में निष्पक्षता से पूर्ण हो जाएँ। उपरोक्तानुसार पुलिस महानिरीक्षक, जोन भी परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित विवेचनाओं की सूची संकलित करेंगें। पुलिस महानिरीक्षक जोन का दायित्व होगा कि यदि स्थानान्तरित विवेचनायें इस समयावधि से अधिक समय तक लम्बित रहती हैं तो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक का स्पष्टीरकण प्राप्त कर इस मुख्यालय को भेजेंगें।

(ix) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व पुलिस महानिरीक्षक जोन के स्तर से सामान्यतया विवेचना स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत नहीं किये जायेंगें। केवल ऐसे प्रकरण, जिसमें विवेचना की निष्पक्षता पर संदेह हो, विवेचना स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये जा सकते है। ऐसे प्रकरणों की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक जोन के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में उपरोक्त समयावधि के अन्दर निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करायी जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 ऐसी सभी विवेचनाओं की सूची संकलित करेंगे।

(x) विवेचना के स्थानान्तरण के सभी आदेश **स्पीकिंग आर्डर** के रूप में होंगें।

(xi) यदि विवेचना को पुनः स्थानान्तरित करने की परिस्थितियॉं बनती है तो उसके लिये पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बन्धित पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र व पुलिस महानिरीक्षक जोन के माध्यम से एवं उनकी अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

(xii) यदि शासन स्तर से विवेचना स्थानान्तरण के आदेश किसी भी स्तर पर प्राप्त होते है तो ऐसे प्रकरणों की समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद स्वयं करेंगें। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना स्थानान्तरित होने से वादी के हितों की रक्षा होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो प्रकरण इस मुख्यालय को सन्दर्भित किया जायेगा, जिससे परीक्षणोपरान्त प्रकरण को पुनः विचारण हेतु शासन से अनुरोध किया जा सके।

(xiii) संलग्न प्रारूप में **प्रत्येक त्रैमास** में पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा सूचनाएं संकलित कर इस मुख्यालय को भेजी जायेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन हो रहा है।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी) IPS

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
   समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,(नाम से)
   उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे,
   उ0प्र0 लखनऊ।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रारूप

क0 सं0	जनपद	संख्या विवेचनाएं जो दि0 01.01.2014 से त्रैमास के पूर्व तक स्थानान्तरित की गयी।					संख्या त्रैमास में स्थानान्तरित विवेचनाएं					कुल स्थानान्तरित विवेचनाएं					संख्या विवेचनाएं जो समयावधि से अधिक समय से लम्बित हैं।				
		पुलिस अधीक्षक द्वारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिदेशक द्वारा	योग	पुलिस अधीक्षक द्वारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिदेशक द्वारा	योग	पुलिस अधीक्षक द्वारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा	पुलिस महानिदेशक द्वारा	योग	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानान्तरित	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित	पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित	पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थानान्तरित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22